मुकदमों का विवरण

लाल बहादुर शास्त्री शैक्षिक समाज और ए. एन. आर.

वी.

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। (2023 की सिविल अपील संख्या 5647)

05 सितंबर, 2023

[ए**.** एस**.** बोपन्ना और प्रशांत कुमार मिश्रा**,** जे**.** जे**.]** हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःयदि उचित ठहराया जाए तो अतिरिक्त एफ. ए. आर. के आधार पर निर्माण का लाभ उठाने के लिए प्रत्यर्थी के साथ अपीलकर्ता-धर्मार्थ संस्थानों द्वारा जमा की गई राशि की वापसी पर ब्याज के भुगतान का दावा।

ब्याज**-**वापसी की गई राशि पर दावा**-**स्वामित्वः

आयोजित किया गयाःप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीथप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी,प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीउप्रत्यर्थीसप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थीखप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीजप्रत्यर्थीबप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीरप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीटप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीचप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीदप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीगप्रत्यर्थीईप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीथप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीऔप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीचप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीवप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीचप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीछप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीशप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीजप्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीलप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीएप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीशप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीभप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीगप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीथप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थी,प्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीशप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीभप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीगप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीजप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीथप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीऔप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीअप्रत्यर्थीधप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीसप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीचप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीदप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थी

प्रत्यर्थी1 प्रत्यर्थी0 प्रत्यर्थी.प्रत्यर्थी1 प्रत्यर्थी0 प्रत्यर्थी.प्रत्यर्थी2 प्रत्यर्थी0 प्रत्यर्थी0 प्रत्यर्थी8 प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीऔप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थी2 प्रत्यर्थी3 प्रत्यर्थी.प्रत्यर्थी1 प्रत्यर्थी2 प्रत्यर्थी.प्रत्यर्थी2 प्रत्यर्थी0 प्रत्यर्थी0 प्रत्यर्थी8 प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीहप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीवप्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीूप्रत्यर्थीलप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थीगप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीयप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीथप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीदप्रत्यर्थीिप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीअप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीिप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीिप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीतप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीF प्रत्यर्थीA प्रत्यर्थीR प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यथीाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीलप्रत्यथीाप्रत्यर्थीभप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीउप्रत्यर्थीठप्रत्यथीाप्रत्यर्थीयप्रत्यथीाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीजप्रत्यथीाप्रत्यर्थीनप्रत्यथीाप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीथप्रत्यथीाप्रत्यर्थी-
प्रत्यर्थीयप्रत्यथीाप्रत्यर्थीचप्रत्यर्थीिप्रत्यर्थीकप्रत्यथीाप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीतप्रत्यथीाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीउप्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यथीाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीलप्रत्यथीाप्रत्यर्थीभप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीउप्रत्यर्थीठप्रत्यथीाप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीऔप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीवप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीृप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थीजप्रत्यर्थीनप्रत्यथीाप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीरप्रत्यथीाप्रत्यर्थीपप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीतप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीलप्रत्यर्थीिप्रत्यर्थीएप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीिप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीमप्रत्यथीाप्रत्यर्थीणप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीसप्रत्यथीाप्रत्यर्थीथप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीआप्रत्यर्थीगप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीबप्रत्यर्थीढप्रत्यर्थी़प्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीइप्रत्यर्थीचप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीछप्रत्यर्थीुप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीथप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी-
प्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीिप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीणप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीषप्रत्यथीाप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीबप्रत्यर्थीजप्रत्यथीाप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीरप्रत्यथीाप्रत्यर्थीशप्रत्यर्थीिप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीजप्रत्यर्थीमप्रत्यथीाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीऔप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीलप्रत्यथीाप्रत्यर्थीभप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यथीाप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीलप्रत्यथीाप्रत्यर्थीभप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीउप्रत्यर्थीठप्रत्यथीाप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीलप्रत्यर्थीिप्रत्यर्थीएप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीखप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीचप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीबप्रत्यर्थीढप्रत्यर्थी़प्रत्यथीाप्रत्यर्थीवप्रत्यथीाप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीदप्रत्यर्थीिप्रत्यर्थीयप्रत्यथीाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीऔप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीउप्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीबप्रत्यथीाप्रत्यर्थीदप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीलप्रत्यथीाप्रत्यर्थीभप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीउप्रत्यर्थीठप्रत्यथीाप्रत्यर्थीयप्रत्यथीाप्रत्यर्थी-
प्रत्यर्थीइप्रत्यर्थीसप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीकप्रत्यथीाप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी,प्रत्यर्थी

प्रत्यर्थीजप्रत्यर्थीबप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीजप्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीगप्रत्यर्थीईप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीखप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी,प्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीअप्रत्यर्थीधप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीूप्रत्यर्थीचप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीवप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीधप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीहप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीऔप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीबप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीदप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीभप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीईप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीघप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीषप्रत्यर्थीणप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीहप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीगप्रत्यर्थीईप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीअप्रत्यर्थीधप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीूप्रत्यर्थीचप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी10 उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक संकेत था कि धनवापसी का प्रश्न

ब्याज सहित राशि की जांच रिट याचिकाओं के समापन के स्तर पर, तथ्यों के आधार पर की जाएगी, जब अपीलार्थी के अधिकार के संबंध में कोई निर्णय और निर्धारण नहीं था और एक घोषणा कि राशि की अवैध रूप से मांग की गई थी और प्रत्यर्थी द्वारा रखी गई थी, या तो ब्याज का भुगतान करने का निर्देश या लंबित अवधि के लिए किसी अन्य तरीके से क्षतिपूर्ति करने का निर्देश उत्पन्न नहीं होगा।[पैरा 13 और 14]

अवमानना याचिका-दायरा-वापस की गई राशिः

आयोजित किया गयाःऐसी परिस्थिति में जहां बाद में राशि वापस कर दी गई है और उस सीमा तक अवमानना, यदि कोई हो, को समाप्त कर दिया गया है, उच्च न्यायालय द्वारा अवमानना याचिका का निपटान करने का अंतिम निष्कर्ष न्यायसंगत है-कोई त्रुटि नहीं की गई है-हालांकि, जहां तक डब्ल्यू. पी. में पारित आदेश में दर्शाई गई अवधि की समाप्ति के बाद दूसरे मामले में अपीलार्थी से संबंधित धन को बनाए रखने से संबंधित विवाद है। (ग) उच्च न्यायालय के समक्ष 2010 का No.2823 और इस बारे में कि क्या इस तरह के प्रतिधारण से अपीलार्थी को नुकसान हुआ है और इसके विपरीत प्रत्यर्थी द्वारा उससे प्राप्त लाभ, यदि कोई हो, और जिस तरीके से उसे मुआवजा दिया जाना है या नहीं और जिस दर पर यह किया जाना है, वे ऐसे मामले हैं जिन पर उचित कार्यवाहियों में और कानून के अनुसार विचार किया जाना चाहिए जिसमें पक्षकार अपनी दलीलें रखने और सामग्री रखने के लिए सभी अवसरों का लाभ उठाएंगे-इसलिए, उसी तरह जिस तरह से अपील के पहले हिस्से में अपीलार्थीगण ने अपने उपचार का लाभ उठाया है, अपीलार्थी के लिए अपील के दूसरे हिस्से में भी उचित मंच के समक्ष उपचार का लाभ उठाने के लिए खुला रहेगा।[पैरा 16]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम रवींद्र एंड ओआरएस। (2002) 1 एससीसी 367:[2001] 4 पूरक।एस. सी. आर. 323; साउथ ईस्ट-अर्न कोल एल्स लिमिटेड बनाम मध्य राज्य

प्रदेश और ओआरएस। (2003) 8 एससीसी 648:[2003] 4 पूरक।एससीआर 651; राजस्थान

आवास बोर्ड और अन्य. v.कृष्ण कुमारी (2005) 13 एस. सी. सी. 151; भारतीय खाद्य निगम और ए. एन. आर.मेसर्स सील लिमिटेड एंड ऑर्ड (2008) 3 एस. सी. सी. 440:

[2008] 1 एस. सी. आर. 663-लागू नहीं हुआ।

837

लाल बहादुर शास्त्री शैक्षिक समाज बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण

पृथ्वी नाथ राम बनाम झारखंड राज्य और अन्य। (2004) 7 एससीसी 261:

[2004] 3 पूरक।एस. सी. आर. 740-निर्भर।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2023 की सिविल अपील सं. 5647।2010 के डब्ल्यू. पी. सी. सं. 3099 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 31.10.2013 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2023 की सिविल अपील सं. 5648।

रूपः

सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, एस. निरंजन रेड्डी, वरिष्ठ अधिवक्ता।, अंकित जैन, मोहित डी. राम, सुश्री मोनिशा हांडा, भागीरथ N.patel, अनुभव शर्मा, कमल गुप्ता, हर्षवर्धन झा, श्रीमती युगांधरा पवार झा, अभिषेक चौधरी, स्पर्श अग्रवाल, अमन पाठक, अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।

कैलाश वासदेव, वरिष्ठ अधिवक्ता, नितिन मिश्रा, सुश्री मिताली गुप्ता, ईशान शर्मा, सुश्री शगुन सभरवाल, सुश्री निहारिका अहलूवालिया, सुश्री बीनू टम्टा, सुश्री नमिता चौधरी, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

ए. एस. बोपन्ना, जे.

देरी को माफ कर दिया गया।

आई. ए. No.159570/2019 की अनुमति है।1. दोनों मामलों में अनुमति दी गई।

2. इन अपीलों में विचार के लिए उत्पन्न होने वाला सामान्य मुद्दा उस राशि की वापसी पर ब्याज के भुगतान के दावे के संबंध में है जो अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी-दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास जमा की गई थी ताकि अतिरिक्त एफ. ए. आर. के आधार पर निर्माण का लाभ उठाया जा सके। इन दोनों अपीलों में अपीलकर्ता धर्मार्थ संस्थान हैं।द 838

दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी अधिसूचना के माध्यम से प्रत्यर्थी ने एमपीडी 2021 से उत्पन्न होने वाले उपयोग रूपांतरण, मिश्रित भूमि उपयोग और बढ़े हुए एफएआर के लिए अन्य शुल्कों के लिए लागू होने वाली दरों के निर्धारण को अधिसूचित किया था।संस्थागत भूखंडों के संबंध में भी इसमें अतिरिक्त एफ. ए. आर. शुल्क का प्रावधान किया गया था।

3. 2014 के एस. एल. पी. (सी) No.31548 से उत्पन्न दीवानी अपील में अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2010 के डब्ल्यू. पी. (सी) No.3099 में अतिरिक्त एफ. ए. आर. शुल्कों के अधिरोपण के रूप में उक्त अधिसूचना पर हमला किया था।2015 के एस. एल. पी. (सी) No.2009 से उत्पन्न सिविल अपील में अपीलार्थी ने डब्ल्यू. पी. में उसी पर हमला किया था। (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 2010 का No.2823।उक्त रिट याचिकाओं में अंतरिम आदेश की मांग करने वाला आवेदन दायर किया गया था।संशोधित योजना की मंजूरी के लिए अंतरिम राहत देने के लिए उक्त आवेदन पर विचार करने के लिए ताकि निर्माण और पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके, अपीलार्थीगण ने विवादित राशि को जमा करने का आदेश दिया, जो अतिरिक्त एफ. ए. आर. शुल्क के लिए मांगी गई राशि थी, जिसे रिट याचिका में आरोपित किया गया था।उच्च न्यायालय ने इस सुझाव को स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को उक्त राशि का भुगतान करने और लाभ उठाने की अनुमति दी।अपीलार्थीगण ने जमा करने के बाद, लाभ उठाया और निर्माण कार्य के साथ आगे बढ़े।

4. रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, प्रत्यर्थी ने 17.07.2012 दिनांकित एक अधिसूचना जारी की, जिसके तहत 10.10.2008 और 23.12.2008 दिनांकित अधिसूचना में पैरा 6 (g) में एक संशोधन किया गया था, जिन पर उच्च न्यायालय के समक्ष हमला किया गया था।इस तरह के संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि आयकर छूट वाली शैक्षिक समितियों/स्वास्थ्य देखभाल और समाज कल्याण समितियों से कोई अतिरिक्त एफ. ए. आर. शुल्क नहीं लिया जाएगा।उक्त लाभ यहाँ अपीलार्थीगण के लिए उपलब्ध हो गया और इस प्रकार उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिकाओं में विवादित प्रश्नों पर

निर्णय की आवश्यकता नहीं थी।इसलिए, उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष लंबित सभी रिट याचिकाओं में बाद की अधिसूचना के माध्यम से किए गए परिवर्तन पर ध्यान दिया था और तदनुसार 2009 के डब्ल्यू. पी. (सी) <आई. डी. 2 में समान मामलों और दिनांकित 20.07.2012 आदेश के माध्यम से अन्य याचिकाओं का निपटारा किया था।उक्त कार्यवाही में उच्च न्यायालय के समक्ष या बैंक गारंटी के माध्यम से की गई जमा राशि को वापस लेने की अनुमति दी गई थी।

839

लाल बहादुर शास्त्री शैक्षिक समाज बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण [ए. एस. बोपन्ना, जे.]

5. उस पृष्ठभूमि में उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण के नेतृत्व में दायर रिट याचिकाओं का भी निपटारा किया गया।हम अपीलार्थी के मामले में आई. डी. 1 दिनांकित उस आदेश पर ध्यान देते हैं जिसमें उच्च न्यायालय ने पहले के आदेश को निकालकर रिट याचिका का निपटारा किया था।जहां तक प्रत्यर्थी के पास जमा की गई राशि का संबंध है, यह निर्देश दिया गया था कि धनवापसी आठ सप्ताह की अवधि के भीतर की जाए, लेकिन ब्याज के भुगतान की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया था।यह उस प्रकाश में है कि अपीलार्थी इस न्यायालय के समक्ष है।

6. इस मोड़ पर यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि अपीलार्थी से संबंधित मामले में, 2010 की डब्ल्यू. पी. (सी) <आई. डी. 1 में रिट याचिका का दिनांकित 27.08.2012 आदेश के माध्यम से इसी तरह के शब्दों में निपटारा किया गया था और जमा की गई राशि को जारी करने का निर्देश दिया गया था।इस दृष्टिकोण से, उक्त अपीलार्थी द्वारा ब्याज से संबंधित पहलू पर एक आवेदन लिया गया था और प्रति वर्ष 15 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि की वापसी की मांग की गई थी।इस मामले पर विचार करने के बाद उच्च न्यायालय की राय थी कि चूंकि रिट याचिकाओं पर अंततः निर्णय नहीं लिया गया था, इसलिए ब्याज के दावे को उचित नहीं ठहराया जाएगा।अतः उपरोक्त उल्लिखित मामलों में से दूसरे में अपीलार्थी ने 2013 के एस. एल. पी. (सी) Nos.7907-7908 में इस न्यायालय के समक्ष 2010 के डब्ल्यू. पी. (सी) 2823 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश पर हमला किया था।उक्त एसएलपी को 22.02.2013 पर खारिज कर दिया गया।उस दृष्टिकोण से, जहां तक उपरोक्त उल्लिखित मामलों में से दूसरे में अपीलार्थी के रूप में लंबित ब्याज के दावे को अस्वीकार किया जा रहा है, यह वास्तविकता प्राप्त कर चुका है।7. उपरोक्त पृष्ठभूमि में हमने सुना है कि वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा और संबंधित अपीलार्थीगण के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. निरंजन रेड्डी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कैलाश वासदेव और प्रत्यर्थीगणओं की विद्वान अधिवक्ता सुश्री निहारिका अहलूवालिया ने अपील पत्रों का अध्ययन किया है।

8. सामने रखी गई दलीलों और ऊपर उल्लिखित घटनाओं के क्रम को परिप्रेक्ष्य में रखे जाने के आलोक में, मामले की जांच की आवश्यकता है।सबसे पहले, हमारे लिए यह उचित होगा कि हम उस कानूनी स्थिति पर ध्यान दें जिस पर अपीलार्थीगण के लिए विद्वान वरिष्ठ वकीलों

द्वारा इस न्यायालय के निर्णयों को हमारे विचार के लिए रखते हुए जोर दिया गया था।(i) मामले में इस न्यायालय की संवैधानिक पीठ का निर्णय

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम रवींद्र और अन्य। (2002) 1 एससीसी 367 है

पैरा 37 के विशिष्ट सी संदर्भ के साथ भरोसा किया गया जिसमें तात्पर्य 840 है।

मुआवजे के रूप में 'ब्याज' शब्दों पर इस संदर्भ में ध्यान दिया गया है कि ब्याज की अवज्ञा के लिए समझौते द्वारा मुआवजा दिया जाता है या धन के उपयोग या प्रतिधारण के लिए या धन के नुकसान के लिए कानून द्वारा अनुमति दी जाती है जो इसके उपयोग का हकदार है।इस संबंध में, हम ध्यान देते हैं कि उक्त कार्यवाहियों में विचार सिविल प्रक्रिया संहिता, 1918 की धारा 34 में निहित प्रावधान की पृष्ठभूमि में 'मूल राशि का निर्णय' और 'ऐसी मूल राशि' वाक्यांशों के संदर्भ में किया गया था।

((ii) साउथ ईस्टर्न कोल एल्ड्स लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य मामलों में इस न्यायालय का निर्णय। (2003) 8 एससीसी 648 के साथ

अनुच्छेद 26 और 28 का विशिष्ट संदर्भ पुनर्स्थापन के सिद्धांत पर जोर देने के लिए रखा गया है जिसके तहत पक्षों को एक ही स्थिति में रखा जाता है और यह तर्क दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय के एक अधिनियम द्वारा पर्याप्त नहीं होगा, जिस पर ब्याज अनुदान के लाभ के लिए उक्त मामले में विचार किया गया था और लागू किया गया था।

(iii) राजस्थान आवास बोर्ड और अन्य के मामले में निर्णय।

बनाम कृष्ण कुमारी (2005) 13 एस. सी. सी. 151 को पैरा 5 के संदर्भ में रखा गया है, जिसमें आवंटन प्राधिकारी को लाभ प्रदान करते हुए और बकाया पर ब्याज माफ करने के लिए आवंटनकर्ता को राहत देने से इनकार करते हुए, इस न्यायालय ने कानूनी उक्ति 'एक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रेवबिट' पर जोर दिया था।

(iv) इसके अलावा एक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रेवबिट के सिद्धांत को लागू करने और मुकदमेबाजी के लंबित रहने के दौरान स्थिति में बदलाव करने वाले पक्ष को राहत प्रदान करने के समान सिद्धांत पर,

भारतीय खाद्य निगम और ए. एन. आर. बनाम के मामले में निर्णय।

मेसर्स सील लिमिटेड और अन्य। **(2008) 3** एस**.** सी**.** सी**. 440** को पैरा **25** के विशिष्ट सी संदर्भ के साथ हमारे विचार के लिए रखा गया है।

9. उस पृष्ठभूमि में तथ्यों पर वापस जाते समय, इस बात पर विचार करने के लिए कि क्या उपरोक्त मामलों में प्रतिपादित कानूनी प्रस्ताव का लाभ तत्काल तथ्यों पर लागू होगा, जिस पर ध्यान दिया जाना प्रासंगिक होगा और जिस पर वास्तव में अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा जोर दिया गया है, वह 2010 के सी. एम. <आई. डी. 1 पर 2010 के डब्ल्यू. पी. (सी) No.3099 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश है, जिसके नेतृत्व में एक आवेदन में उक्त रिट याचिका में अंतरिम आदेश की मांग की गई थी।

841

लाल बहादुर शास्त्री शैक्षिक समाज बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण [ए. एस. बोपन्ना, जे.] 842

10. रिट याचिका में, यह दर्ज किया गया है कि प्रत्यर्थीगणओं को नोटिस जारी किया गया था और जहां तक अंतरिम आदेश के लिए आवेदन है, यह इंगित करेगा कि नोटिस को उसमें प्रत्यर्थीगणओं के अधिवक्ता द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन उस अर्थ में दोनों पक्षों की कोई सुनवाई नहीं हुई थी।राशि जमा करने से संबंधित आदेश में निहित हिस्से को निकालना प्रासंगिक होगाः“याचिकाकर्ता का कहना है कि वह विवादित राशि जमा करेगा, लेकिन यदि रिट याचिका में अंतिम निर्णय के चरण में अतिरिक्त राशि जमा पाई जाती है, तो प्रत्यर्थीगण द्वारा याचिकाकर्ताओं को उचित ब्याज के साथ वापस कर दी जानी चाहिए।

हमारा विचार है कि उपरोक्त एक उचित सुझाव है और यदि

याचिकाकर्ता याचिका में सफल होते हैं, उस स्तर पर ब्याज के साथ राशि की वापसी के सवाल की जांच की जाएगी।जमा करने पर

राशि और याचिकाकर्ताओं द्वारा आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने पर, प्रत्यर्थीगण संशोधित मंजूरी योजना के साथ-साथ पूर्णता प्रमाण पत्र देने के लिए आगे बढ़ेंगे।”

(जोर दिया गया)

11. यदि उपर्युक्त आदेश को समझा जाता है, तो यह इंगित करता है कि जमा की जाने वाली राशि अपीलार्थी की ओर से स्वेच्छा से की गई थी।चूंकि स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अभी नोटिस लिया था और उसकी ओर से कोई प्रस्तुति दर्ज नहीं की गई है, उस स्तर पर प्रत्यर्थीगणओं ने कोई भूमिका नहीं निभाई थी।इसके अलावा, इस बात का कोई संकेत नहीं है कि अदालत ने जमा करने पर जोर दिया था।इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सच है, हालांकि आदेश में यह संकेत दिया गया है कि उक्त सुझाव को न्यायालय द्वारा उचित के रूप में स्वीकार किया गया था और यह भी देखा गया था कि याचिकाकर्ताओं के याचिका में सफल होने की स्थिति में ब्याज के साथ राशि की वापसी के सवाल की उस स्तर पर जांच की जाएगी।यदि उक्त पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है और रिट याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए मुद्दों की प्रकृति पर ध्यान दिया जाता है, तो रिट याचिका में अनुरोध 09.03.2010 की मांग को रद्द करने के लिए था जिसमें रु. 7,67,79,600/- की मांग की गई थी।इस तरह की मांग को चुनौती देने का आधार इस तथ्य के कारण भी है कि प्रत्यर्थी

द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.10.2008 और 23.12.2008, जिसके कारण ऐसी मांग उठाई गई थी, पर भी हमला किया गया था और इसे स्थायी नहीं होने के कारण रद्द करने की मांग की गई थी।इसलिए, यह स्पष्ट है कि राशि की मांग को केवल तभी रद्द किया जाएगा जब अतिरिक्त एफ. ए. आर. शुल्क लगाने वाली अधिसूचना को अस्थिर करार देते हुए रद्द कर दिया गया और इसके परिणामस्वरूप मांग कानून के अनुसार नहीं थी।

12. आई. डी. 3 और आई. डी. 2 की उक्त अधिसूचना की वैधता के संबंध में निर्णय पर विचार किए जाने तक, प्रत्यर्थीगणओं ने आई. डी. 1 की बाद की अधिसूचना के माध्यम से कुछ श्रेणियों को अतिरिक्त एफ. ए. आर. शुल्क लगाने से छूट दी थी और उक्त अधिसूचना में संकेत दिया था कि आई. डी. 2 की अधिसूचना की अन्य सामग्री अपरिवर्तित रहेगी।चूंकि, उक्त अधिसूचना के माध्यम से रिट याचिकाकर्ताओं के लिए लाभ उपलब्ध था, इसलिए रिट याचिकाओं का निपटारा कर दिया गया था क्योंकि दिनांकित अधिसूचना 10.10.2008 और 23.12.2008 को योग्यता के आधार पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी और जो राशि जमा की गई थी, उसे वापस करने का निर्देश दिया गया था।

13. इसलिए, वर्तमान तथ्यों में उस तारीख को जब रिट याचिका दायर की गई थी और याचिकाकर्ता ने स्वेच्छा से राशि जमा करने के लिए आवेदन किया था, राशि का भुगतान किया जाना था और यदि अतिरिक्त एफ. ए. आर. का लाभ उठाया जाना था तो अधिसूचना दिनांक 10.10.2008 और 23.12.2008 के तहत वसूली योग्य थी।याचिकाकर्ता इसका लाभ उठाने और स्वीकृत योजना प्राप्त करने के लिए निर्माण के साथ आगे बढ़ने के इच्छुक होने के कारण 'तीव्र' गति से आगे बढ़े थे और निर्णय की प्रतीक्षा करने और उसके बाद लाभ उठाने के बजाय राशि जमा करने और लाभ प्राप्त करने के लिए खर्च किया था।उस दृष्टिकोण से, जब जमा किए जाने की तारीख को, अधिसूचना वैध रही और बाद में भी ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई कि अधिसूचना और की गई मांग अवैध है, लेकिन बाद की अधिसूचना के माध्यम से स्वयं प्रत्यर्थीगणओं द्वारा संस्थागत भूखंडों की एक निश्चित श्रेणी को ऐसे शुल्क लगाए बिना अतिरिक्त एफ. ए. आर. का लाभ उठाने के लिए छूट दी गई है, यह ऐसा मामला नहीं है जहां उपरोक्त निर्णयों में उल्लिखित कोई भी सिद्धांत यहां लागू होगा।

14. जैसा कि उल्लेख किया गया है, जिन परिस्थितियों में जमा किया गया था, वे ऐसी स्थिति में नहीं हैं जहां अपीलार्थी को 'न्यायालय के अधिनियम' के कारण इस अर्थ में कोई नुकसान हुआ है कि इसका अर्थ लगाया जाना चाहिए।इसके अलावा, जहां तक प्रत्यर्थी का संबंध है, अतिरिक्त एफ. ए. आर. शुल्क का प्रावधान करने वाली अधिसूचना उस तारीख से लागू थी जब जमा किया गया था।भले ही उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के अंतरिम आदेश में एक संकेत है कि ब्याज के साथ राशि की वापसी के प्रश्न की जांच रिट याचिकाओं के

समापन के चरण में की जाएगी, उन परिस्थितियों में जो ऊपर सामने आई हैं और उल्लेख किया गया है, जब 843 के संबंध में कोई निर्णय और निर्धारण नहीं था।

अपीलार्थी के अधिकार और यह घोषणा कि राशि की अवैध रूप से मांग की गई थी और प्रत्यर्थी द्वारा रखी गई थी, या तो ब्याज का भुगतान करने का निर्देश या लंबित अवधि के लिए किसी अन्य तरीके से क्षतिपूर्ति करने का निर्देश उत्पन्न नहीं होगा।तथापि, जहाँ तक न्यायालय द्वारा अनुमत अवधि की समाप्ति के बाद भी लंबी अवधि के लिए राशि की वापसी न होने की बात है, स्वीकार है कि उपरोक्त मामलों में से पहले मामले में अपीलार्थी ने अलग-अलग कार्यवाही शुरू की है।इस संबंध में, सभी दलीलों को खुला रखा जाता है और इस मुद्दे पर निर्णय लेने में की गई टिप्पणियों में से कोई भी पक्षकारों को अपनी दलीलों के निर्णय की मांग करने में पक्षपात नहीं करेगी।

15. इस तथ्य के अलावा कि अपीलार्थी दूसरी अपील में इस न्यायालय के समक्ष पूर्ववर्ती एस. एल. पी. में कार्यवाहियों में विफल रहा है, जहां तक कि विचाराधीन लघु ब्याज है, उपरोक्त निष्कर्ष को देखते हुए, यह उनके मामले पर भी लागू होगा और बाद की अवधि के लिए वे अपने उपचार का लाभ उठा सकते हैं।जहाँ तक उपरोक्त अपीलों में से दूसरी में आक्षेपित आदेश का संबंध है, यह देखा जाता है कि उक्त आदेश दिनांक 15.10.2009 अवमानना कार्यवाही से उत्पन्न हो रहा है।2020 का अवमानना मामला No.326 दिनांकित 27.08.2002 के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा का आरोप लगाते हुए दायर किया गया था, जिसमें जमा राशि को वापस करने का निर्देश जारी किया गया था।उस संदर्भ में, अपीलार्थी ने क्षतिपूर्ति के लिए एक निर्देश की मांग की थी।उच्च न्यायालय ने अवमानना याचिका का निपटारा करते समय इस बात पर विचार किया है कि गुण-दोष पर कोई निर्णय नहीं हुआ था और इसलिए ब्याज या मुआवजे का भुगतान नहीं होगा।

16. जो हो सके, जैसा कि प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखते हुए उचित रूप से तर्क दिया है

पृथ्वी नाथ राम बनाम झारखंड राज्य और अन्य का मामला। (2004) 7 एससीसी

261 अवमानना याचिका में कार्यवाही के दायरे के संबंध में और ऐसी परिस्थिति में जहां बाद में राशि वापस कर दी गई है और उस हद तक अवमानना, यदि कोई हो, को हटा दिया गया है, उच्च न्यायालय द्वारा अवमानना याचिका का निपटान करने का अंतिम निष्कर्ष, किसी भी स्थिति में, न्यायसंगत है और हम हस्तक्षेप करने के लिए कोई त्रुटि नहीं देखते हैं।तथापि, जहां तक डब्ल्यू. पी. में पारित दिनांक 27.08.2012 आदेश में इंगित अवधि की समाप्ति के बाद दूसरे मामले में अपीलार्थी से संबंधित धन के प्रतिधारण से संबंधित विवाद है। (ग) उच्च न्यायालय के समक्ष 2010 का No.2823 और इस बारे में कि क्या इस तरह के प्रतिधारण

ने अपीलार्थी को नुकसान पहुंचाया है और इसके विपरीत प्रत्यर्थी द्वारा उसी से प्राप्त लाभ, यदि कोई हो, और

जिस तरीके से क्षतिपूर्ति की जानी है या नहीं, और जिस दर पर यह किया जाना है, वे ऐसे मामले हैं जिन पर उचित कार्यवाही में और कानून के अनुसार विचार किया जाना चाहिए, जिसमें पक्षकार अपनी दलीलें रखने और सामग्री रखने के लिए सभी अवसरों का लाभ उठाएंगे।इसलिए, जिस तरह से उपरोक्त अपीलों के पहले भाग में अपीलार्थीगण ने अपने उपचार का लाभ उठाया है, उसी तरह उपरोक्त अपीलों के दूसरे भाग में भी अपीलकर्ता के लिए कानून के अनुसार उपयुक्त मंच के समक्ष उपचार का लाभ उठाना खुला रहेगा।इस संबंध में दोनों पक्षों की सभी दलीलें खुली हैं।

17. अपीलों का निपटारा उपरोक्त शर्तों में, लागत के संबंध में किसी भी आदेश के बिना किया जाता है।

18. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपीलों का निपटारा किया गया।

दिव्या पांडे